न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– उमा मित्तल आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 25/2025

1. पंकज कुमार पुत्र श्री जयपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 15 एल.जी.डब्ल्यु. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. प्रवीण कुमार पुत्र श्री जयपाल जाति बिश्नोई निवासी चक 15 एल.जी.डब्ल्यु. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जसप्रीतसिंह पुत्र श्री राजपालसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमान प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. श्रीमान उपपंजीयक पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीमान तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।

–अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय चाण्डक –– प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ––अप्रार्थी सं. 3 व 4

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 26/09/2025

अधिवक्ता प्रार्थीगण पंजक आदि द्वारा जरिये अधिवक्ता **श्री संजय चाण्डक** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया गया है जिसके **संक्षिप्त** तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का वाद–पत्र श्रीमान न्यायालय **में प्रस्तुत कर दिया है** जो जेरकार है। प्रार्थीगण को श्रीमान न्यायालय से पूरा–पूरा न्याय **प्राप्त होने की आशा है। प्रार्थीगण के** प्रार्थना–पत्र का भार संतुलन प्रथम द्रष्टवा प्रार्थीगण **के पक्ष में है। यह** कि वादाधीन कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड चक 15 एल.जी.डब्ल्यु. **के संयुक्त खाता संख्या– 70/54** के प0नं0 2/296 ख15, के कि0नं0 1/1 ता 3/**2, 8 ता 13, 18 ता 23 में स्थित कुल** 3.795 **है0** कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या–1 जसप्रीतसिंह **पुत्र राजपालसिंह के नाम से दर्ज हिस्सा भूमि में से है।** उक्त संयुक्त खाता में दर्ज कृषि **भूमि की नकल जमाबन्दी चक 15** एल.जी.डब्ल्यु. **श्बीश खाता** संख्या–70/54 सम्वत 2070–**2073** प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि प्रार्थीगण ने दिनाक **06/03/2025** को [illegible] रजिस्टर्ड **बैयनामा** अप्रार्थी नं० 1 जसप्रीतसिंह पुत्र श्री राज**पालसिंह** से उनके स्वामित्व की [illegible] नाम से दर्ज चक 15 एल. जी.डब्ल्यु.(बी) में स्थित **संयुक्त खाता** संख्या 70/54 [illegible]/3795 हिस्सा **कृषि** भूमि में से 0.253 है0 कृषि **भूमि खरीदशुदा कृषि भूमि है।** अपने [illegible] की पुष्टि में नकल [illegible] दस्तावेज बैयनामा **दिनाक 06/03/2025** संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

यह कि अप्रार्थी **नं0 1** ने उक्त **संयुक्त** खाता में दर्ज **स्वंय के नाम से दर्ज हिस्सा** कृषि भूमि जिस **पर कि वह मोके पर भोतिक रूप से काबिज काश्त भी था,** में से प0नं0 2/296 (15)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:00 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

के कि0नं0 1/1/0.101, 1/2/.026, 22/126 की 0.253 है0 नहरी मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि का मय नहरी पानी की बारी सहित कब्जा प्रार्थीगण को संभलवा भी दिया है। उक्त खरीद की दिनाक 06/03/2025 से आज तक उक्त खरीदशुदा रकबा पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं है।

यह कि प्रार्थीगण ने जब अपने उक्त खरीदशुदा रकबे का नामान्तकरण स्वय के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु दस्तावेज बैयनामा सबंधित सिगेदार के समक्ष प्रस्तुत किया तो राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा पर रहन का नोट लगा हुआ था। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में उक्त खरीद का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं हो पाया है। अन्य कोई कारण नहीं रहा है। 6. यह कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आज भी प्रार्थीगण के द्वारा खरीदशुदा रकबा अप्रार्थी नं० 1 के नाम दर्ज चला आ रहा है। इससे प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी खरीदशुदा 0.253 है0 कृषि भूमि को जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं. 1 के नाम से उसके समस्त हिस्सा में सम्मिलित होकर दर्ज चली आ रही है, के अंकन को अप्रार्थी नं० 1 के नाम से उसके समस्त हिस्सा कृषि भूमि में से 0.253 है0 कृषि भूमि की हद तक कलमजन करवाने एंव खरीद के आधार पर ब0हि0ब0 अपने नाम दर्ज करवाने हेतु उक्त अनवान का वाद-पत्र पेश किया हुआ है। यह कि इस सबंध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नं. 1 से सम्पर्क किया तथा उनके द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में विकय किए गए रकबे पर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे रहन के अंकन को हटाए जाने संबंधि की जाने वाली कार्यवाही को किए जाने का निवेदन किया। यह कि प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी नं. 1 को उक्त कार्यवाही किए जाने बाबत दो-तीन दफा मोखिक रूप से निवेदन भी किया किन्तु दो दिन पूर्व ही चक 15 एल. जी. डब्ल्यु. पर अप्रार्थी नं० 1 ने प्रार्थीगण को स्पष्ट कहा कि अभी मैं उक्त कार्यवाही नहीं कर सकता, मेरे पास जब पैसा होगा तभी भूगतान कर रहन मुक्त की कार्यवाही कर पाउंगा। आपको जो कार्यवाही मेरे विरूद्ध करनी है कर लें। अप्रार्थी नं. 1 के इस तरह के व्यवहार एंव बर्ताव से प्रार्थीगण को पूर्ण आशंका है कि अप्रार्थी नं. 1 उक्त अनवान के वाद-पत्र के अंतिम निर्णय से पूर्व प्रशनगत कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्यत्र किसी को भी हस्तान्तरण कर सकता है। यदि अप्रार्थी नं. 1 अपने इस विधि-विरूद्ध उदेशय में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण के हितों पर ना पूरा होने वाला नुकसान हो जावेगा, जिसकी बाद में पूर्ति भी संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि जब तक श्रीमान न्यायालय में जेरकार उक्त अनवान के वाद-पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हो जाता तब तक वह चक 15 एल.जी.डब्ल्यु. के संयुक्त खाता संख्या- 70/54 के प0नं0 2/296 (15) के कि0नं0 1/1 ता 3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 में स्थित कुल 3.795 है0 कृषि भूमि में अपने नाम से अंकित 758/3795 हिस्सा वादाधीन कृषि भूमि को अन्यत्र किसी भी प्रकार से रहन,बैय एंव मन्तकिल नहीं करें तथा मोका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखें। श्रीमान जी की [illegible] होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल नोटिस [illegible] पर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी शुदा है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 राजपैरोकार जरिये तहसीलदार प्रार्थना पत्र मे औपचारिक पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से वाद पत्र में जवाब वांछित है। प्रार्थना पत्र में जवाब बंद किया जाता है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृश्टांतो का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में वाद पत्र जैरकार है जिसमें गणोवगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। अपितु उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्थगन आदेश जारी कर ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है कि अप्रार्थीगण चक 15 एल.जी.डब्ल्यु. के संयुक्त खाता संख्या– 70/54 के प0नं0 2/296 (15) के कि0नं0 1/1 ता 3/2, 8 ता 13, 18 ता 23 में स्थित कुल 3.795 है0 कृषि भूमि में अपने अप्रार्थी संख्या 1 के नाम अंकित 758/3795 हिस्सा वादाधीन कृषि भूमि को अन्यत्र किसी भी प्रकार से रहन,बैय एंव मुन्तकिल नहीं करें तथा मोका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 26/09/25 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, राजस्थान